फाइल नं0-71-1001/220/2022

1/2023/।/256750/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 03 जनवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में केन्द्र पुरोनिधानित फेज-1 के अंतर्गत पी0जी0 सीट्स वृद्धि हेतु शासनादेश दिनांक 19.04.2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 01 नग अतिरिक्त उपकरण क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/429, दिनांक 05.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या/।-157423/2022/71-1001/1672/2019 , दिनांक 19.04.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज , आगरा में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-1 के अंतर्गत स्वीकृत सूची में 01 नग Digital X-Ray Machine with Fluroscopy 1000MA मशीन के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 3 ,00,00,000.00 के सापेक्ष मरीज हित में 02 नग Digital X-Ray Machine with Fluroscopy 1000MA मशीन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या/।-157423/2022/71-1001/1672/2019, दिनांक 19.04.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-1 के अंतर्गत पी0जी0 सीट्स वृद्धि हेतु 16 विभागों में एन0एम0सी0 मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु उपलब्ध केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 1479.00 लाख के उपकरणों के क्रय की अनुमति प्रदान की गयी।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 05.12.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज , आगरा में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-1 के अंतर्गत पी0जी0 सीट्स वृद्धि हेतु 16 विभागों में एन0एम0सी0 मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु 01 नग स्वीकृत Digital X-Ray Machine with Fluroscopy 1000MA मशीन लागत)02 नग मशीन हेतु रू0 3 ,00,00,000.00) के अतिरिक्त 01 नग Digital X-Ray Machine with Fluroscopy 1000MA मशीन स्वीकृत करते हुए उक्त का क्रय शासनादेश दिनांक 19.04.2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि से क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4- शासनादेश संख्या/।-157423/2022/71-1001/1672/2019, दिनांक 19.04.2022 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।